

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ 4387

दिनांक: 12/9/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 (1) (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगरपालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगरपालिको में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है:-

क्र. सं.	जिला	नगरपालिका नाम	सदस्य
1.	बून्दी	केशोरायपाटन	1. महावीर सैन पुत्र श्री कालूलाल सैन, वार्डनं. 2 2. अशोक कुमार पुत्र श्री रामशरण सेठी, वार्ड नं.8 3. आनन्द कुमार पुत्र श्री बृजनन्दन धुप्पड, वार्ड नं 19 4. श्रीमती मैनका सैन पत्नी श्री मनीष सैन वार्ड नं. 12
2.	बून्दी	कापरेन	1. द्वारका लाल मीणा पुत्र श्री राम निवास मीणा, वार्डनं. 12 2. राजेन्द्र पाटनी पुत्र श्री शान्ती लाल पाटनी, वार्ड नं. 4 3. डूंगरसिंह राजावत पुत्र श्री भंवर सिंह राजावत, वार्ड नं. 20 4. लोकेश बागडा पुत्र श्री रविकरण शर्मा, वार्ड नं. 20
3.	बून्दी	लाखेरी	1. पप्पूलाल गोचर पुत्र श्री भंवर लाल गोचर, वार्ड नं. 10 2. श्रीमती रेखा पारेता पत्नी श्री सत्यनारायण पारेता, वार्ड नं. 21 3. विनोद कुमार पंचोली पुत्र श्री मुकुट बिहारी पंचोली, वार्ड नं 24 4. हनुमान सेनी पुत्र श्री गोपालाल सेनी, वार्ड नं. 4 लाखेरी
4.	बून्दी	इन्द्रगढ	1. सुनील कुमार सैन पुत्र श्री बाबूलाल सैन, वार्ड नं. 9 2. इन्साफ अली, पुलिस थाने के पास वार्ड नं. 1 3. राजेश पालीवाल, वार्ड नं. 10 4. नीलेश तिवाडी पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवाडी, वार्ड नं. 4

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/17/ 4388 to 4405 दिनांक: 12/9/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, बून्दी।

06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में नियमानुसार शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
07. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
10. सम्बंधित आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलवाने की कार्यवाही करें।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी